



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना- 800014



पत्रांक-8 बजट (1) 08/2026 10/08/2026 आ०

दिनांक- 20/04/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा० प्र० से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पटना,

जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/ भोजपुर/ मुजफ्फरपुर/ दरभंगा/ भागलपुर/ मुंगेर/ सहरसा/ गया/
छपरा/सिवान/ मधेपुरा/ बेगूसराय/ नवादा/ बेतिया/ मोतिहारी/खगड़िया/ औरंगाबाद/ शिवहर/
शेखपुरा/ रोहतास/ नालन्दा/ जहानाबाद/ पूर्णिया/ अरवल/ सुपौल/ जमुई/ लखीसराय/ बाँका/
अररिया/ बक्सर/ कैमूर एवं किशनगंज।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 कुक्कुट
विकास उपशीर्ष, उपशीर्ष 0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और
मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना, मांग संख्या-02, विपत्र कोड
02-2403001030003 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 1,39,35,500/- (एक
करोड़ उनचालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन
करने हेतु कुल रूपये 1,39,35,500/- (एक करोड़ उनचालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र आवंटित किये जाते
हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं० -2 के अधीन मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन,
उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 कुक्कुट विकास उपशीर्ष 0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और
मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना, मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2403001030003 के अन्तर्गत
विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये स्थायी योजना एवं
स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर
पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं
किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 236/वि० दिनांक- 09.03.2026 एवं
314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के
प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) पुनरीक्षित प्राक्कलन 2026-27 एवं बजट प्राक्कलन 2027-28 दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक उपलब्ध करा दें।

(च) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 08/2026 प0पा0 10/2026 आ0/

पटना-14,

दिनांक-20/04/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को अनुलग्नक की प्रति के साथ (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष 2403 पशुपालन 103 कुक्कुट विकास 0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना, मांग संख्या-02 विपत्र कोड- 02-2403001030003 के अन्तर्गत

आवंटन की विवरणी:-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	वेतन एवं भत्ते का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पटना	848000	541300	79200	33900	13200	0	1515600
2	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	412600	263400	38500	16500	6600	0	737600
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	608700	388500	56900	24300	6600	0	1085000
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	323300	206300	30200	12900	6600	0	579300
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	0	0	0	0	0	0	0
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	0	0	0	0	0	0	0
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सिवान	0	0	0	0	0	0	0
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा	0	0	0	0	0	0	0
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया	0	0	0	0	0	0	0
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	0	0	0	0	0	0	0
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद	425100	271300	39700	17000	6600	0	759700
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर	0	0	0	0	0	0	0
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	363900	232300	34000	14500	6600	0	651300
21	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	573500	366100	53600	22900	6600	0	1022700
22	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	0	0	0	0	0	0	0
23	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	572900	365700	53500	22900	6600	0	1021600
24	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	573500	366100	53600	22900	6600	0	1022700
25	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल	425100	271300	39700	17000	6600	0	759700
26	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल	0	0	0	0	0	0	0
27	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई	556700	355300	52000	22200	6600	0	992800
28	जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बाँका	538800	343900	50300	21500	6600	0	961100
30	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	363900	232300	34000	14500	6600	0	651300
31	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	323300	206300	30200	12900	6600	0	579300
32	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर	460500	293900	43000	18400	7100	0	822900
33	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	7369800	4704000	688400	294300	106100	0	13162600

क्र० सं०	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दूरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	13 06 वर्दी/ पोशाक	14 01 किराया महसूल एवं कर	20 03 प्रशिक्षण व्यय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	52 01 मशीनें एवं उपस्कर	कुल आवंटन
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0	38600	24900	0	0	0	0	0	0	0	1579100
2	0	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	766000
3	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	4000
4	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	19200
5	0	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	13700
6	0	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	15100
7	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	1125000
8	0	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	592000
9	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	9900
10	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	17600
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	19200
15	0	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	17600
16	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	19200
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	15000	10000	0	0	0	0	0	0	0	784700
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	40000	19200	0	0	0	0	0	0	0	710500
21	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	1041900
22	0	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	19100
23	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	1040600
24	0	30000	15600	0	0	0	0	0	0	0	1068300
25	0	50000	8200	0	0	0	0	0	0	0	817900
26	0	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	9700
27	0	50000	19200	0	0	0	0	0	0	0	1062000
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	991100
30	0	40000	19200	0	0	0	0	0	0	0	710500
31	0	10000	14800	0	0	0	0	0	0	0	604100
32	0	50000	3700	0	0	0	0	0	0	0	876600
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	393600	379300	0	0	0	0	0	0	0	13935500

(एक करोड़ उनचालीस लाख पैं तीस हजार पाँच सौ) मात्र ।

10 (10) 3178
20/04/2026

निदेशक पशुपालन ।

10